



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

A Central University established by an Act of Parliament
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

क्रमांक: F.1/ला.बा.शा.रा.सं.वि./सा.प्रा./2020-21/137

दिनांक: 14.08.2020

कार्यालय आदेश संख्या- 01/2020

संपदा निदेशालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत् संबंधी कार्यालय जापन संख्या 18011/2/2015-Pol.III दिनांक 07.07.2020 के अनुपालन में एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के सरकारी आवास टाईप संख्या I, II, III, IV एवं V की मासिक लाइसेंस फीस दिनांक 01.07.2020 से निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है।

क्रमांक	आवास टाईप	वर्तमान मासिक लाइसेंस फीस (रूपए / प्रतिमाह)	दिनांक 01.07.2020 से लागू संशोधित मासिक लाइसेंस फीस (रूपए / प्रतिमाह)
1	टाईप-I (बालकनी को कवर करने के बाद संशोधित क्षेत्रानुसार)	205/-	370/-
2	टाईप-II (बालकनी को कवर करने के बाद संशोधित क्षेत्रानुसार)	260/-	370/-
3	टाईप-III	310/-	560/-
4	टाईप-IV	525/-	790/-
5	टाईप-V	900/-	1490/-

विश्वविद्यालय के वर्तमान में आवास आवंटियों से 01/07/2020 से लागू नयी संशोधित लाइसेंस फीस की राशि तत्काल प्रभाव से ली जाएगी। लाइसेंस फीस की संशोधित उक्त दरें अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(जे. पी. सिंह)

सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)